>

Title: Need to invite open tenders from airline companies in respect of air tickets meant for Haj Pilgrimage.

**श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी):** सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने का मौका दिया। भारत सरकार द्वारा 1973 में हज सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया था। यह हज सब्सिडी समुद्री जहाज और हवाईजहाज के किराए में अंतर के बराबर धनराशि होती थी। वर्तमान में यह सब्सिडी औसतन प्रति यात्री 70,000 रुपए की है। मुख्यतः यह हवाई यात्रा का खर्चा है, जो एयर इंडिया को जाता है। सन् 2005 से 2010 के बीच यह खर्चा 2891.77 करोड़ रुपए हुआ, जिसके माध्यम से 6,40,792 हज यात्री लाभान्वित हुए। मुझे बताया गया है कि हवाई यात्रा के लिए टिकट की दरें अगर ओपन टेंडरिंग द्वारा निर्धारित की जाएं तो यह खर्चा वर्तमान के करीब एक तिहाई रह जाएगा। वास्तव में हज सब्सिडी हज यात्रियों को नहीं, बल्कि यह मनमाने तरीके से निर्धारित किराए की राशि एयर इंडिया को सब्सिडी के रूप में जाती है। अनावश्यक रूप से बदनामी हज यात्रियों की होती है। अतः मेरा यह प्रस्ताव है कि भविष्य में हज यात्रियों को भेजने के लिए निजी हवाई यात्रा कम्पनीज से भी ओपन टेंडर के माध्यम से टिकट दरें मंगाई जाएं, ताकि हज यात्रा के लिए जारी सब्सिडी में अपने आप कमी आ जाएगी।